डिक्री व सीगे अपील
(ऑर्डर 41 , रूल 35, जाब्ता दीबानी)
(Civil Procedure Code,Appendix D&1)
अज अदालत राजस्व अपील प्राधिकारी, भरतपुर मुकाम भरतपुर
व इजलास श्री अखिलेश कुमार पिपल (आर0ए0एस0)

अपील संख्या 89/21(223 आर.टी.एक्ट)
आरसीएमएस संख्या :– 2021/189
उनवानी :–

1. गुलाब पुत्र रामसिंह जाति मीना निवासी ग्राम इन्द्रोली तहसील कॉमा जिला भरतपुर ।

.....अपीलांट।

बनाम

1. प्रबन्धक स्टेट बैंक आफ इण्डिया शाखा कॉमा तहसील कॉमा जिला भरतपुर।
2. श्रीमान तहसीलदार, तहसील कॉमा जिला भरतपुर।

..... रैस्पोडेण्ट।

अपील विरूद्ध आदेश दिनांक 10.03.2021 प्रकरण संख्या 22/19 उनवान गुलाब बनाम प्रबन्धक स्टेट बैंक आफ इण्डिया न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, कॉमा ।

यह अपील .....23.....माह.....01.....सन्.....2024.....व हमारे .....श्री अनिल कुमार गुप्ता एड. ..... मिनजानिब अपीलाण्ट , रैस्पोडेण्ट श्री चन्द्रशेखर शर्मा समायत के लिये पेश होकर यह हुक्म है कि... **अपील अपीलण्ट खारिज की जाती है।** अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कॉमा का निर्णय व डिक्री दिनांक 10.03.2021 यथावत रखा जाता हैं।
(खर्चा अपील.....का हस्य तफसील जेर तादादी जेर तादादी मुबलिग.....) रूपये.....
अदा करें, खर्चा मुकदमा मुबलिग का.....अदा करें।
बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख.....23.....माह.....01.....सन्.....2024.....को जारी की गई।

23-01-2024

(अखिलेश कुमार पिपल)
आर.ए.एस.
राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर

मुद्दई	रूपया	पैसे	मुदायलाह	रूपया	पैसा
स्टाम्प अर्जीदावा			स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			महनताना वकील पर		
महनताना वकील			खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान			फीस कमिश्नर		
फीस कमिश्नर			बाबत् इजराय हुक्मनामा		
बाबत् इजराय हुक्मनामा			मुतफरिक		
मुतफरिक					
मीजान			मीजान		

नोटः– इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का, चाहे डिक्री के जरिये दिलाया गया हो या नही दर्ज करना चाहिये।

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी भरतपुर

पीठासीन अधिकारी :– श्री अखिलेश कुमार पिपल, आर. ए. एस.

अपील संख्याः– 89/21 (223 आर. टी. एक्ट)
आरसीएमएस सख्या :– 2021/189

उनवान

1. गुलाब पुत्र राम सिंह जाति मीना निवासी ग्राम इन्द्रोली तहसील कॉमा जिला भरतपुर।

.....अपीलांट।

बनाम

1. प्रबन्धक स्टेट बैंक आफ इण्डिया शाखा कॉमा तहसील कॉमा जिला भरतपुर।
2. श्रीमान् तहसीलदार, तहसील कॉमा जिला भरतपुर।

..... रेस्पोंडेंट।

अपील अन्तर्गत धारा 223 राज0 काश्त0 अधिनियम विरूद्ध निर्णय व डिक्री न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, कॉमा दि0 10.03.2021 मि.नं. 22/19 उनवानी गुलाब बनाम प्रबन्धक स्टेट बैंक आफ इण्डिया।

अभिभाषकगण :–

1. वकील अपीलांट श्री अनिल कुमार गुप्ता उपस्थित।
2. वकील रैस्पो0 श्री चन्द्रशेखर शर्मा उपस्थित।

निर्णय दिनांक–23.01.2024

1. यह अपील अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, कॉमा के निर्णय व डिक्री दिनांक 10.03.2021 के विरूद्ध पेश की गई है। संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि वादीगण अपीलाण्ट ने अधीनस्थ न्यायालय में एक वाद अन्तर्गत धारा 88, 89, व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध प्रतिवादीगण रैस्पो0 इस आशय का पेश किया कि वाद पत्र में अंकित विवादित आराजी वादी अपीलाण्ट के कब्जे काश्त व खातेदारी की आराजी है एवं आज भी वादी अपीलाण्ट ही काबिज काश्त है। वादी अपीलाण्ट ने विवादित आराजी पर प्रतिवादी रैस्पो0 संख्या 01 से ऋण लिया था। किन्तु फसल अच्छी ना होने के कारण

राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर (राज.)

वादी अपीलाण्ट, प्रतिवादी रैस्पो० का ऋण समय पर नहीं चुका पाया। जिसकी वजह से वादी अपीलाण्ट को बिना सुने प्रतिवादी रैस्पो० ने विवादित आराजी अपने नाम करा ली। जिसके पश्चात् वादी अपीलाण्ट ने उक्त ऋण को चुकता कर प्रतिवादी रैस्पो० से अदेय प्रमाण पत्र ले लिया है। अतः बैंक का वर्तमान में कोई पैसा बकाया नहीं है। अतः वाद प्रस्तुत कर विवादित आराजी पर बैंक के हो रहे इन्द्राजो को कलमजन कर वादी के नाम दर्ज किये जाने का निवदेन किया। अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर, बाद सुनवाई, अपीलाधीन आदेश से खारिज कर दिया। जिससे व्यथित होकर वादी/अपीलाण्ट ने यह अपील इस न्यायालय में पेश की गई है।

2. अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोंडेंट एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली को तलब किया गया। बहस उभयपक्ष सुनी गयी।

3. विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट ने अपील मीमो के तथ्यों को दौहराते हुये तर्क दिये कि अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन आदेश पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य के विपरीत होने के कारण काबिले खारिजी है। यह है कि अपीलाण्ट ने विवादित आराजी पर रैस्पो० संख्या 01 से जो ऋण लिया था वह पूरा चुका दिया है। इस बाबत् अधीनस्थ न्यायालय में अपीलाण्ट द्वारा बैंक की ओर से जारी अदेय प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत किया गया था एवं बैंक द्वारा दिनांक 19.06.2019 को लिखा गया पत्र भी पत्रावली पर उपलब्ध है। फिर भी अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाण्ट का दावा खारिज करने में भूल की है। अंत में अपील अपीलाण्ट स्वीकार किये जाने का निवेदन किया।

4. रैस्पो० के विद्वान अभिभाषक ने अपनी बहस में कोई आपत्ति जाहिर नहीं की गयी एवं अपीलाण्ट के कथनो की पुष्टि हेतु अपनी सहमति जाहिर की गयी।

5. हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा बहस उभयपक्ष पर मनन किया। हम पाते हैं कि वादी अपीलाण्ट द्वारा प्रतिवादी रैस्पो० संख्या 01 से ऋण लेने के पश्चात् चुकता नहीं करने पर इंतकाल संख्या 1311 आदेश दिनांक 07.12.2007 के द्वारा भूमि प्रतिवादी रैस्पो० संख्या 01 के नाम दर्ज हुयी है। परन्तुं वादी अपीलाण्ट ने उक्त नामान्तकरण को ना तो अधीनस्थ न्यायालय में एवं ना ही हस्तगत अपील में प्रस्तुत किया गया है। जिससे यह ज्ञात हो सके किस आदेश से एवं किसके आदेश से विवादित भूमि वादी अपीलाण्ट से प्रतिवादी रैस्पो० के हक में दर्ज हुयी। इस तथ्य को तय किये बिना वादी अपीलाण्ट विवादित आराजी को अपने नाम दर्ज करा पाने के अधिकारी नहीं है। यह सही है कि हस्तगत अपील के साथ वादी अपीलाण्ट ने बैंक द्वारा जारी पत्र की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत की गयी है। जिसमें अंकित है कि विवादित आराजी वादी अपीलाण्ट के नाम दर्ज करने में उन्हें आपत्ति नहीं है। परन्तु प्रतिवादी रैस्पो० ने तो अपनी पहचान अधीनस्थ न्यायालय में करायी है एवं ना ही हस्तगत अपील में ही

राजस्व अपील प्राधिकारी,
भरतपुर (राज.)

लगातार

करायी है। जवाब भी स्वयं प्रतिवादी रैस्पो0 द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित होकर दिया गया है। पहचान नहीं करायी गयी है। लिहाजा हम इंतकाल संख्या 1311 आदेश दिनांक 07.12.2007 के अभाव में हम अपील अपीलाण्ट खारिज योग्य पाते हैं।

6. अतः आदेश है कि अपील अपीलांट खारिज की जाती है। विद्वान अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कॉमा के निर्णय व डिक्री दिनांक 10.03.2021 यथावत रखें जाते हैं। पर्चा डिक्री जारी हो। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख निर्णय की प्रति के साथ वापस लौटाया जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंवर से कम की जावें तथा बाद जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।

7. निर्णय आज दिनांक 23.01.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

23.01.2024

(अखिलेश कुमार पिपल)
आर.ए.एस.
राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर

राजस्व अपील प्राधिकारी भरतपुर (राज.)